

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 4365 अतारांकित की जानकारी

(राशि रूपये करोड़ में)

मौसम/ वर्ष	बीमा कंपनी	बीमित कृषक	कृषक अंश प्रीमियम	राज्यांश प्रीमियम	केन्द्रांश प्रीमियम	कुल प्रीमियम राशि	राज्यांश राशि जारी करने की दिनांक	शेष राज्यांश प्रीमियम राशि	शेष केन्द्रांश प्रीमियम राशि
खरीफ 2016 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	-	-	346.00	-	-	30.3.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	-	-	188.00	-	-	30.3.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एगो	-	-	82.50	-	-	30.3.17	-	-
खरीफ 2016 अंतिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	2501141	211.10	346.52	692.52	1596.14	3.6.17	0	0
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	825613	104.58	188.21	366.231	847.02	3.6.17	0	0
	एच.डी.एफ. सी. एगो	523984	58.46	82.89	168.89	392.74	3.6.17	0	0
रबी 2016-17 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	1624918	148.14	90.00	90.00	328.14	3.6.17	113.34	113.34
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	766114	61.27	81.60	88.83	231.70	3.6.17	81.18	81.18
	एच.डी.एफ. सी. एगो	496028	44.46	22.24	22.24	88.94	3.6.17	21.69	21.69
खरीफ 2017 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	2116049	283.27	12.50	-	295.77	29.12.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	832707	158.02	12.50	-	170.52	29.12.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एगो	466943	61.45	25.00	-	86.45	29.12.17	-	-
रबी 2017-18 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	-	-	12.50	-	12.50	29.12.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	-	-	12.50	-	12.50	29.12.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एगो	-	-	25.00	-	25.00	29.12.17	-	-

नोट:- 1. राज्यांश प्रीमियम जारी होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भुगतान की जाती है।

2. खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 के शेष राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमांकन के अंतिम आंकड़े बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर उनकी मांग अनुसार किया जावेगा।

अनुभाष अधिकारी

म० प्र० शासन

कृषि विभाग। आस्था - 01

म.प्र. सरकार
कृषि विभाग
राजधानी, लखनऊ

क्र	विवरण	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
1	आवरित किसान	1. अनिवार्य आधार पर - जो किसान बैंक से ऋण लेते हैं 2. ऐच्छिक आधार पर - जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं ।	1. अनिवार्य आधार पर - जिन किसानों को बैंक से ऋण सीमा स्वीकृत हो। 2. ऐच्छिक आधार पर - जो किसानों को बैंक से ऋण नहीं लेते हैं ।
2	आवरित फसलें	सभी खाद्यान्न, अनाज, कदन्न, दलहन एवं तिलहन फसलें वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें	सभी खाद्यान्न, अनाज, कदन्न, दलहन एवं तिलहन फसलें वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें
3	बीमा इकाई	जिला/तहसील/पटवारी इल्का	जिला/तहसील/पटवारी इल्का
4	प्रीमियम दरें	मुख्य फसलों हेतु बीमित राशि का 1.5% से 3.50% तक एवं बागवानी फसलों हेतु वास्तविक प्रीमियम दर	वास्तविक प्रीमियम दर। कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीक फसलों हेतु 2.00%, एवं रबी फसलों हेतु 1.5% तक एवं बागवानी फसलों हेतु 5% जो भी कम हो, शेष राशि भारत एवं राज्य शासन द्वारा बराबर अनुपात में वहन की जाएगी।
5	क्षीमित राशि	ऋणी किसान हेतु लिये गये ऋण तक एवं अऋणी किसानों के लिए श्रेयोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज मूल्य के 150 प्रतिशत तक ।	ऋणी एवं अऋणी किसान हेतु समान रूप से जिलास्तर पर स्वीकृत ऋणमान गुणित प्रस्तावित रकबा
6	क्षतिपूर्ति स्तर	पिछले 10 वर्षों के औसत पैदावार के आधार पर क्षतिपूर्ति सीमा 60, 80 एवं 90 %	70,80 एवं 90% राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा (मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत)
7	आवरित जोखिम	सामान्यतः समस्त प्रकार के जोखिम आवरित है ।	सामान्यतः समस्त प्रकार के जोखिम आवरित है ।
8	दावा गणना	फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर	फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर, के अलावा बुआई विकलता, मध्यावधि मौसम प्रतिकूलताओं के कारण दावों का अग्रिम भुगतान, स्थानीय आपदा एवं फसल फटने के बाद 14 दिनों तक सूखवन हेतु फेलाकर रखी गई फसल आवरित।
9	दावा भुगतान	प्रीमियम राशि तक एआईसी द्वारा एवं इससे अधिक होने पर शेष राशि का 50 : 50 प्रतिशत राज्य एवं भारत सरकार द्वारा वहन	सम्पूर्ण दावा राशि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान

अनुशासक अधिकारी

सं० ६० शासन

कृषि विभाग [शाखा-2]

